



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25.07.2026

एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ एवं थाना सिंघावली अहीर बागपत की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी को घायलावस्था में गिरफ्तार किया था जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध पिस्टल .32 बोर, भारी मात्रा में खोखा कारतूस व एक अपाचे मोटरसाईकिल बरामद ।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद बागपत में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ एवं थाना सिंघावली अहीर बागपत की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी ग्राम भभीसा थाना कांधला जनपद शामली को घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध पिस्टल .32 बोर, भारी मात्रा में खोखा कारतूस व एक अपाचे मोटरसाईकिल बरामद ।

अभियुक्त मुठभेड़ के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया जिसको तत्काल पिलाना सीएचसी ले जाया गया जहां से उसे जिला अस्पताल बागपत रेफर किया गया जिला अस्पताल बागपत में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है।

उक्त अपराधी विपुल उर्फ खूनी शातिर किस्म का अपराधी हैं तथा कुख्यात सुशील मूँछ गैंग का सक्रिय सदस्य और शार्प शूटर हैं। इसके विरुद्ध हत्या, लूट एवं डकैती आदि के 03 दर्जन से अधिक अपराध पंजीकृत हैं।

वर्ष 2014 में गांव एलम थाना कांधला जनपद शामली में एक बहुत चर्चित बदमाश भीम भभीसा को आलम गांव में उसकी परिचित एक महिला मित्र के घर बुलाकर उसकी लोहे के रोड से मार मारकर हत्या कर दी थी जिसमें इसके बुआ के लड़के सुमित और अमित भी इसके साथ थे।

वर्ष 2017 में विपुल खूनी ने अपनी बहन की ससुराल मानपुर जो कि सहारनपुर में है वहां पर एक गाड़ी की लूट की और उसे गाड़ी की लूट के बाद उसने

मानपुर की वर्तमान महिला प्रधान को पुलिस से मुखबरी के शक में घर में घुसकर अपने साथियों के साथ महिला प्रधान की निर्मम हत्या की !

दिनांक 14/07/2014 को अशोक पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम भभीसा थाना कांधला जनपद शामली के भाई पवन की हत्या विपुल उर्फ खूनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर दी थी जिसके संबंध में थाना कांधला पर अ०सं० 280/14 धारा 147,148,149,307,302,452, 504 भादवि दर्ज कराया गया था उक्त मुकदमा ट्रायल पर चल रहा था जेल से आने के बाद अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी जमानत के बाद से बाहर था जो कोर्ट की तारीख पर नहीं जा रहा था और कोर्ट से उसके वारंट निकले हुए हैं अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी ने अशोक पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम भभीसा थाना कांधला से मुकदमे में खर्च हुए रुपए मांग रहा था खर्च न देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है इसके सम्बन्ध में थाना कांधला जनपद शामली पर मु०अ०सं० 126/26 धारा 308,(5) बीएनएस पंजीकृत हैं। उक्त अभियोग में विपुल उर्फ खूनी उपरोक्त पर जनपद शामली से ₹50000/-,,(पचास हजार रुपये) का पुरस्कार घोषित हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विपुल उर्फ खूनी पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी ग्राम भभीसा थाना कांधला जनपद शामली ।

पुलिस मुठभेड़/गिरफ्तारी का स्थान- ग्राम सैदभर जंगल थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- 02 पिस्टल .32 बोर
- भारी मात्रा में खोखा कारतूस
- अपाचे बाइक

गिरफ्तार अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी का आपराधिक इतिहास-

1. अ०सं० 458 / 05 धारा 147,148,149,307,452 भादवि थाना कांधला जनपद शामली

2. अ0सं0 888/08 धारा 302,120 बी भादवि थाना कोतवाली शामिली
3. अ0सं0 94/09 धारा 392,411 भादवि थाना खेकड़ा बागपत
4. अ0सं0 129/09 धारा 379,411 भादवि थाना पांडव नगर शाहदरा दिल्ली
5. अ0सं0 54/11 धारा 110 सीआरपीसी थाना कांधला जनपद शामिली
6. अ0सं0 09/11 धारा 394,395,397 भादवि व 27 ए एक्ट थाना ज्योति नगर शाहदरा दिल्ली
7. अ0सं0 22/13 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद शामिली
8. अ0सं0 34/13 धारा 392,411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत
9. अ0सं0 98/13 धारा 392/412 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिली
10. अ0सं0 221/13 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद शामिली
11. अ0सं0 345/13 धारा 307 भादवि थाना कांधला जनपद शामिली
12. अ0सं0 252/13 धारा 307 भादवि थाना सरधना जनपद मेरठ
13. अ0सं0 253/13 धारा 25 ए एक्ट भादवि थाना सरधना जनपद मेरठ
14. अ0सं0 154/13 धारा 307 भादवि थाना कांधला जनपद शामिली
15. अ0सं0 155/13 धारा 25 ए एक्ट थाना कांधला जनपद शामिली
16. अ0सं0 24/14 धारा 25 ए एक्ट थाना आदर्श मंडी जनपद शामिली,
17. अ0सं0 303/14 धारा 307,34 भादवि थाना कांधला जनपद शामिली
18. अ0सं0 304/14 धारा 25 एक्ट थाना कांधला जनपद शामिली
19. अ0सं0 472/14 धारा 364 ए,368, 120 बी भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत
20. अ0सं0 23/14 धारा 302 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत
21. अ0सं0 280/14 धारा 147,148,149,302,307 भादवि थाना कांधला जनपद शामिली
22. अ0सं0 231/14 धारा 302 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत
23. अ0सं0 03/15 धारा 25 ए एक्ट थाना स्पेशल सेल नई दिल्ली
24. अ0सं0 01/16 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कांधला जनपद शामिली
25. अ0सं0 244/16 धारा 411ए, 144ए, 307 भादवि थाना कांधला जनपद शामिली
26. अ0सं0 245/16 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना कांधला जनपद शामिली
27. अ0सं0 246/16 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कांधला जनपद शामिली
28. अ0सं0 288 / 16 धारा 386 भादवि थाना कांधला जनपद शामिली

29. अ0स0 676 / 16 धारा 307 भादवि थाना कांधला जनपद शामिली
30. अ0स0 208 / 17 धारा 384 भादवि थाना कांधला जनपद शामिली
31. अ0स0 224/17 धारा 307 भादवि थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर
32. अ0स0 225/17 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर
33. अ0स0 129 / 17 धारा 302,147 ,148 ,149 ,120 बी भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

34. अ0स0 382 / 17 धारा 307 थाना कांधला जनपद शामिली
35. अ0स0 383/17 धारा 25 / 27 आम्स एक्ट थाना कांधला जनपद शामिली
36. अ0स0 506/17 धारा 307, 120 बी भादवी 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर
37. अ0स0 1060 / 17 धारा 394 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर
38. अ0स0 126 / 26 धारा 308 (5) बीएनएस थाना कांधला जनपद शामिली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम
- 2- एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25.07.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 402/26 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 402/26 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अरमान पुत्र उमरदीन निवासी कावेरी सिटी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 151 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-का0 607 कपिल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

